(ङ) क्या सरकार इन संस्थानों को चलाने के लिए कोई वित्तीय सहायता देती है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) से (ग) सरकार पहले से ही जरूरत मंद संस्कृत, पाली, और प्राकृत अध्येताओं को दी जा रही वित्तीय सहायता को दिनांक 1-4-1988 से 3000/-रु. प्रति वर्ष से 4000/-रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का निर्णय ले चुकी है ।

(घ) और (ङ) वर्ष 1987-88 के दौरान चल रहे अरबी और फारसी स्कूलों की अर्थात् शिक्षकों का वेतन नौसिखियों को छात्रवृत्तियां देने, पुस्तकों और फर्नीचर की खरीद और भवन की मरम्मत इत्यादि के खर्च का 75 प्रतिशत पूरा करने के लिए 130 स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई थी ।

छात्रों के लिए नेशनल एजूकेशन टेस्ट का आरंभ किया जाना

1923. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल एजूकेशन टेस्ट योजना कब आरम्भ की थी तथा इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान शोध कार्य के लिये पूरे देश से कितने छात्र-छात्राओं का चयन किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना में चुने गए कुछ छात्र-छात्राओं को चार वर्षों तथा कुछ को 5 वर्षों के लिए छात्रवृत्ति दी गई; और

(ग) यदि हां, तो इस दोहरी नीति के क्या कारण हैं तथा इसके परिणाम-स्वरूप विद्यार्थियों में फैले असंतोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अपने प्रारम्भ से ही जूनियर शोध-अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वित कर रहा है । योजना के अंतर्गत शिक्षावृत्तियों की संख्या भी समय-समय पर बढ़ती रहती है । ये छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को आवंटित की जाती हैं । 1986-87 में शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या 3556 थी । अगस्त, 1984 से इस योजना के अंतर्गत सभी नई शिक्षावृत्तियां केवल उन्हीं को दी जाती हैं, जिन्होंने आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की है । राष्ट्रीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना केवल शिक्षावृत्ति के लिए पात्रता की आवश्यकता है । यह परीक्षा केवल शिक्षावृत्तियों के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए ही नहीं तैयार की गई है ।

(ख) तथा (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली शिक्षावृत्तियों की अवधि 3 वर्ष थी, जो एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है । 1987 में आयोग ने निर्णय लिया कि विज्ञान विषयों में परीक्षा का आयोजन वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ संयुक्त रूप से किया जाए जो अपनी शिक्षावृत्तियों के लिए अलग परीक्षा का आयोजन करती हैं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शिक्षावृत्तियां चार वर्ष की अवधि की थी, जिन्हें एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । परीक्षा को संयुक्त करते हुए आयोग ने निर्णय लिया कि इसकी शिक्षावृत्ति भी चार वर्ष के लिए होगी तथा जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और संशोधित अवधि 1-8-1986 से लागू होगी । कुछ छात्रों ने अभ्यावेदन दिया है कि शिक्षावृत्ति की अवधि में संशोधन 1984-85 से लागू होना चाहिए । तथापि, आयोग ने इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं पाया है ।